सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
मैनुअल

युवा कल्याण एवं
प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय
जनपद हरिद्वार

वर्ष 2011–2012

निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तरांचल के

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

प्रान्तीय रक्षक दल विभाग का गठन शासनादेश संख्या–6588–जेड/2–10–60–बी–1947, दिनांक 20 अक्टूबर, 1947 के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। तदोपरांत वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम–1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुए इसकी भूमिका और उद्देश्यों का पुष्टिकरण भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना दिनांक 09.11.2000 को की गयी जिसमें राज्य के विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन उत्तराखण्ड शासन के युवा कल्याण विभाग के अधीन युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय उत्तराखण्ड जो तपोवन रोड, रायपुर देहरादून में स्थापित हुआ, के सृजन का निर्णय लिया गया।

निदेशालय की स्थापना :– निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल की स्थापना शासनादेश संख्या–2424/मा०सा०वि०/2001, दिनांक 13 अगस्त, 2001 के अन्तर्गत की गयी है। अपर सचिव, युवा कल्याण उत्तराखण्ड शासन पदेन निदेशक है। इन्हें ही विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 पर आधारित है। विभाग का मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी युवक मंगल दल, महिला मंगल दल एवं प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के माध्यम से जनसामान्य तक पहुचाना, ग्रामीण अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढाने के लिये मंच प्रदान करना एवं प्रान्तीय रक्षक दल के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों के माध्यम से समाज सेवा व सुरक्षा के कार्य सम्पन्न कराना है।

विभाग को प्रान्तीय रक्षक दल तथा युवा कल्याण दो पृथक प्रकृति के कार्य सौपें गए है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है।

प्रान्तीय रक्षक दल संगठन :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस के सहायतार्थ 18–45 आयु वर्ग के इच्छुक ग्रामीण युवाओं को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप चयनित किया जाता है।
2. ग्राम सभा स्तर पर न्यूनतम 10 युवाओं का स्वयं सेवी दल तैयार किया जाता है जिनमें से एक टोलीनायक तथा एक दलपति चयनित किया जाता है।
3. न्याय पंचायत स्तर पर इन दलों के स्वयं सेवकों के बीच से एक हल्का सरदार चयनित किया जाता है ।
4. प्रत्येक ब्लाक में हल्का सरदारों के बीच से एक ब्लाक कमाण्डर चयनित किया जाता है।
5. सभी स्वयं सेवक नितान्त अवैतनिक होते है और इन्हे समय–समय पर 22 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण देकर निःशुल्क वर्दी उपलब्ध करायी जाती है।
6. इन स्वयं सेवकों को आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागो/परिषदों/अर्द्धसरकारी संस्थानों आदि में ड्यिूटी पर तैनात किया जाता है ड्यिूटी पर तैनाती की दशा में इन्हें प्रतिदिन रू० 200/– की दर से मानेदय का भुगतान भी किया जाता है।

युवा संगठन :– युवा शक्ति में सगठनात्मक भावना में जागरूकता तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर एक युवक मंगल दल एवं एक महिला मंगल दल गठित करवाकर सौसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जाता है।

इन युवा संगठनों का ढांचा निम्नवत् है :–

1. युवक/महिला मंगल दल	–	ग्राम सभा स्तर
2. क्षेत्रीय युवक समिति	–	ब्लाक स्तर
3. जिला युवक समिति	–	जिला स्तर
4. राज्य युवा कल्याण परिषद	–	राज्य स्तर

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाक के कृत्य एवं कर्तव्य मुख्यतः निम्न प्रकार है

(1) ग्रामीण खेलकूद तथा शारीरिक सम्बर्द्वन की निम्न वर्गो की प्रतियोगिताएं विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।
(क) भारत सरकार की योजना – पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के अन्तर्गत 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता
(ख) ग्रामीण महिलाओं की खुली खेलकूद प्रतियोगिता
(ग) ग्रामीण युवकों की खुली प्रतियोगिता।

(2) युवा सेमीनार/संगोष्टी का आयोजन।
(3) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
(4) साहसिक कार्यक्रमों का अयोजन।
(5) चयनित ग्रामीण युवाओं को अर्द्व–सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर शान्ति सुरक्षा व्यवस्था में आवश्यकतानुसार ड्यूटी प्रदान करना।
(6) ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियमों के निर्माण एवं भारत सरकार की योजना – पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 लाख की धनराशि के अन्तर्गत खेल मैदानों का निर्माण।
(7) स्वरोजगार सम्बन्धी व्यवसायों में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करवाना।
(8) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत यूथ हास्टल निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना।
(9) व्यायामशालाओं के संचालन द्वारा ग्रामीण युवाओं के शारीरिक व मानसिक सम्बर्द्वन में योगदान।
(10) भारत सरकार की खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–2

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

विभागीय संघठनात्मक संरचना निम्नवत है।

श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
ख	जिला स्तर पर जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	01
ग	व्यायाम प्रशिक्षक	01
ग	प्रवर सहायक	01
ग	कनिष्ट सहायक	01
घ	अनुसेवक	01
ग	विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	06

संविधान के अनुच्छेद–154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित है और इन अधिकारी का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद–166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त किये जायेंगे। विभागाध्यक्ष अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी का निर्वहन वित्त हस्तपुस्तिकाओं, बजट, मैनुअल, एम०जी०ओ० एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत करते है।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों और अधिकारों का विवरण निम्नवत है

जिला स्तर पर विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं अधिकारियों का विवरण निम्न है।

1. <u>जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी :–</u> जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी विभाग की जनपद में स्थित इकाई का मुखिया होने के नाते विभागीय योजनाओं एवं जनपद स्तरीय क्रियाकलापों हेतु जिला प्रशासन के साथ–साथ विभागाध्यक्ष की प्रति उत्तरादायी है। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्पादित कार्यो एवं लेखा रख–रखाव की ड्यूटी पर प्रभावी नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व है। उन पर जनपद में विभागीय योजनाओं का वार्षिक बजट तैयार करने तथा यथा समय जिलाधिकारी के माध्यम से आवश्यक धन की व्यवस्था कर प्राप्त धन के विरूद्व होने वाले व्यय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व भी है। किसी मद में व्याधिक्य न हो अथवा धन के अवशेष होने पर यथा समय उसे निदेशालय के माध्यम से शासन को समर्पण करने का उत्तरदायित्व भी इन पर है वह किये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा कर आख्याएं निदेशालय के माध्यम से शासन को भिजवाने हेतु भी उत्तरदायी है। जनपद स्तर पर

विभागीय कार्मिकों को 45 दिन का अस्वस्थता अवकाश स्वीकृत करना, वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति, भ्रमण की स्वीकृति, चरित्र पंजिका में अंकन/विवेचना करना आदि।

2. **व्यायाम प्रशिक्षक :–** ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल एवं शारीरिक दक्षता में महारथ दिलवाने हेतु प्रत्येक जनपद में ग्रामीण व्यायामशालाएं निर्मित है तथा इन व्यायामशालाओं के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में एक प्रशिक्षित व्यायाम प्रशिक्षक तैनात है। इसके अतिरिक्त राज्य के संशाधनों के आधार पर तैयार होने वाले ग्रामीण स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्राथमिक कार्यवाही किये जाने का उत्तरदायित्व भी इन्हें सौपा गया है।

3. **क्षेत्रीय युवा कल्याण एंव प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी :–** क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को विभाग की धुरी कहा जाए ते अतिशयोक्ति न होगी। प्रत्येक विकास खण्ड में युवा एवं प्रान्तीय रक्षक दल संगठनों के गठन तथा संचालन हेतु एक क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा.र.द. अधिकारी तैनात है। विभागीय योजनाओं के सफल संचालन का दायित्व इन्ही अधिकारियों का सौपा गया है।

4. **प्रवर सहायक** : प्रवर सहायक अपने पटल से सम्बन्धित कार्यो के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है।

5. **कनिष्ठ सहायक :** कनिष्ठ सहायक अपने पटल से सम्बन्धित कार्यो के साथ–साथ अपने उच्च कार्मिकों के कार्यो के प्रति भी उत्तरदायी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–3

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में वर्तमान में प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख/पुस्तिकाएं है।

1.	उत्तराखण्ड प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम–1948 (अनुकुलन एवं उपांतरण–2002)	:	प्रान्तीय रक्षक दल के गठन सम्बन्धी जानकारी।
2.	उत्तराखण्ड प्रान्तीय रक्षक दल नियमावली–1948	:	प्रान्तीय रक्षक दल के गठन की नियमावली।
3.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1	:	अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों का विवरण।
4.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2	:	आधारभूत नियम के विवरण तथा वेतन, भत्तों, अवकाश व सेवाओं से सम्बन्धित अन्य नियमों का विवरण।
5.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	:	यात्रा भत्ता से सम्बन्धित नियम/विवरण।
6.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–4	:	सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन से सम्बन्धित नियम/विवरण।
7.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5	:	राजकीय वित्तीय संचालन की प्रक्रिया से सम्बन्धित तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा लेखा–रखरखाव से सम्बन्धित विवरण।

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर जारी की गयी सभी नियमावलियों एवं शासनादेशों का संग्रह एवं उपयोग।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–4

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

जनपद स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला युवक समिति एवं विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवक समिति गठित है।

इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों से विभागीय कार्यक्रमों के संबंध में विचार–विमर्श परामर्श किया जाता है।

जनपद स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों हेतु जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि के आंवटन मं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से परामर्श एवं अनुमोदन लिया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–5

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

विभाग में अनुरक्षित अभिलेख

कार्यालय में प्रायः दो श्रेणी के अभिलेख रखे जाते है।

1. दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाले अभिलेख जैसे–फाईल, रजिस्टर, कम्प्यूटर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाईल, कार्य विवरण चार्ट आदि।
2. अभिलेखागार मे सुरक्षित अभिलेख।

दिन प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले अभिलेखों की निरन्तरता तब तक बनी रहती है जब तक के प्रयोग में रहते है। अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों हेतु विभिन्न नियमों में उन्हें कितने समय तक सुरक्षित रखा जायेगा का विवरण दिया गया है।

स्थापना अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पंजिकाएं।

(अ) सरकारी सेवकों से सम्बन्धित

1. समस्त सरकारी सेवकों की सेवापुस्तिकाएं।
2. समस्त सरकारी सेवकों की व्यक्तिगत पत्रावलियॉ।
3. एलोकेशन पत्रावली तथा पंजिका।
4. कार्यालय आदेश–पत्रावली/पंजिका।
5. स्थापना सम्बन्धी पत्रावली (सामान्य)
6. संवर्ग वार कार्मिकों की वरिष्ठता सूची पत्रावलियॉ।
7. संवर्ग वार कार्मिको की स्थायीकरण पत्रावलियॉ।
8. समयमान वेतनमान की स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावलियॉ।
9. वर्षवार वार्षिक स्थानांतरण सम्बन्धी पत्रावलियॉ।
10. सरकारी सेवकों की वेतन भुगतान पंजिका (वर्षवार)
11. सेवानियमावलियों का उपांतरण एवं निरसन सम्बन्धी पत्रावलियॉ
12. वेतन बिल पंजिकाएं
13. यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा/स्थानांतरण यात्रा भत्ता देयक पंजिका

(ब) स्वयं सेवक संगठन/युवा दलों से सम्बन्धित

1. पंजीकृत युवा दलों से सम्बन्धित पत्रावली
2. जिला/क्षेत्र युवक समिति के अध्यक्षों से सम्बन्धित पत्रावली
3. प्रशिक्षित स्वयं सेवकों से सम्बन्धित पत्रावालियां
4. स्वयं सेवकों/युवा दलों के संबंध में संकलित शासनादेशों की गार्ड फाइल

(स) शासकीय सम्पत्ति।

1. विभागीय सम्पत्ति से सम्बन्धित पंजिका
2. विभागीय सम्पत्ति से सम्बन्धित पत्रावलियॉ

(द) शासनादेशों का संकलन

1. विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित शासनादेशों की गार्ड फाइल
2. लेखा सम्बन्धी शासनादेशों की गार्ड फाइल

(य) उच्च स्तर को भेजे जाने वाली सूचनाएं

1. अधिष्ठान सम्बन्धी सूचना की पत्रावली
2. सेवायोजन सम्बन्धी सूचना की पत्रावली
3. निदेशालय स्तर पर समीक्षा हेतु भेजी जाने वाली सूचनाओं की पत्रावली

(र) अन्य पंजिकाएं/पत्रावालियॉ

1. डाक प्राप्त पंजिका
2. डाक प्रेषण पेजिका
3. कार्यालय आदेश पंजिका
4. आकस्मिक अवकाश की पंजिका
5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति पंजिका
6. आडिट से सम्बन्धित पत्रावालियॉ
7. कैश बुक पंजिकाए
8. 11 सी पंजिकाए
9. बजट आंवटन पत्रावालियॉ
10. विभिन्न देयकों के सम्बन्धी पत्रावालियॉ

लेखा अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पंजिकाएं

(अ) सरकारी सेवकों से सम्बन्धित

1. सरकारी सेवको की जी०पी०एफ० पत्रावलियॉ
2. सरकारी सेवकों की जी०पी०एफ० पासबुक
3. सरकारी सेवकों की जी०पी०एफ० लेजर
4. जी०पी०एफ० ब्याज आगणंन पंजिका
5. सरकारी सेवकों को ऋण स्वीकृत विषयक पत्रावलियॉ/पंजिका
6. कालातीत बिलों की पत्रावली एवं पंजिका

(ब) स्वयं सेवक संगठन/युवा दलों से सम्बन्धित

1. स्वयं सेवकों को ड्यूटी भुगतान पंजिका

(स) शासनादेशों का संकलन

1. युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेशों की गार्ड फाइल
2. वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों की गार्ड फाइल
3. विभिन्न विभागों द्वारा जारी शासनादेशों की गार्ड फाइल

(द) उच्च स्तर को भेजे जाने वाली सूचनाएं

1. वार्षिक योजना सम्बन्धी पत्रावलियॉ
2. नियोजन विभाग को प्रेषित सूचना सम्बन्धी पत्रावलियॉ
3. वित्त विभाग को प्रेषित सूचना सम्बन्धी पत्रावलियॉ

(य) अन्य पंजिकाएं/पत्रावलियॉ

1. बजट सम्बन्धी गार्ड फाईलें/पत्रावालियॉ
2. बजट नियंत्रण पंजिकाएं
3. अनुदान/राज सहायता के उपभोग सम्बन्धी पत्रावलियॉ की पंजिका
4. बैंक एकांउट सम्बन्धी पंजिका
5. बैंक एकाउंट की मदवार पंजिका
6. चैक बुक पंजिका

स्टोर अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पंजिकाएं

(अ) सरकारी सेवा से सम्बन्धित

1. सरकारी सेवकों की वर्दी वितरण पत्रावली/पंजिका

(ब) स्वयं सेवक संगठन/युवा दलों की सम्बन्धित

1. स्वयं सेवकों की ड्यूटी से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पंजिका

(स) शासनादेशों का संकलन

1. स्टोर सम्बन्धी शासनादेशों की गार्ड फाईल

(द) स्टोर सम्बन्धी

1. सामग्री क्रय सम्बन्धी पत्रावलियॉ
2. भण्डार सम्बन्धी पंजिकाएं

(य) न्यायालय सम्बन्धित

1. विभाग में दायर विभिन्न वाद सम्बन्धी पत्रावलियॉ
2. विभाग में दायर विभिन्न वाद सम्बन्धी पंजिका

भारत सरकार से सम्बन्धित

1. पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के अन्तर्गत (पायका) से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पंजिकाए
2. सूचना अधिकार 2005 से सम्बन्धित पत्रावलियॉ/पंजिकाएं

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–6

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

बोर्डो परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिये खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहॅच होगी।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवक समिति एवं जनपद स्तर पर जिला युवक समिति गठित है। विववरण निम्नव्त है।

(क) क्षेत्रीय युवक समितियॉ

1. क्षेत्रीय युवक समिति भगवानपुर	अध्यक्ष	श्री सुशील कुमार
2. क्षेत्रीय युवक समिति लक्सर	अध्यक्ष	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
3. क्षेत्रीय युवक समिति खानपुर	अध्यक्ष	श्री अनिल कुमार
4. क्षेत्रीय युवक समिति बहादराबाद	अध्यक्ष	श्री विक्रम खरोला
5. क्षेत्रीय युवक समिति नारसन	अध्यक्ष	श्री दीपक राठी
6. क्षेत्रीय युवक समिति रूडकी	अध्यक्ष	मौ० आवेश

(ख) जिला युवक समिति कार्यकारिणी

1. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	अध्यक्ष
2. श्री अनिल कुमार	उपाध्यक्ष
3. श्री दीपक राठी	सचिव
4. श्री तौकिर आलम	सह सचिव
5. श्री सुशील कुमार	कोषाध्यक्ष
6. मौ० आवेश	प्रदेश प्रतिनिधि
7. श्री प्रदीप कुमार	सदस्य
8. श्री दीपक शर्मा	सदस्य
9. श्री अनिल कुमार	सदस्य
10. श्री अनिल	सदस्य

क्षेत्रीय युवक समिति/जिला युवक समिति के कार्यकलाप

1. विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक तीन माहों में समिति की बैठक
2. युवक/महिला मंगल दलों के गठन पंजीकरण हेतु दलों को प्रेरित करना
3. विकास एवं सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं को प्रेरित करना
4. राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देना
5. युवा कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों में योगदान देना
6. शासनादेश के अनुसार प्रत्येक माह क्षेत्रीय युवक समितियों को 1000/–तथा जिला युवक समिति को 2000/– प्रोत्साहन हेतु दिया जाना है इस धनराशि से बैठक व्यय समिति के कार्यालय साज–सज्जा, रख–रखाव, यात्रा व्यय आदि प्रस्ताव के आधार पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसका संचालन विकास खण्डो में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–7

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

लोक सूचना अधिकारियों, अपिलेट अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्ठयॉ

लोक सूचना प्राधिकारी इकाई में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपिलेट अधिकारियों के नाम का विवरण निम्नव्त है।

जनपद स्तर पर –

1. श्री जीतेन्द्र सिह आर्य	जिला युवा कल्याण एवं प्रा.र.द. अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
3. श्री हनुमान सिह भण्डारी	व्यायाम प्रशिक्षक	स० लोक सूचना अधिकारी
2. श्री हरिश चन्द्र सैमवाल	मुख्य विकास अधिकारी	अपिलेट अधिकारी

विकास खण्ड स्तर पर –

1. श्री रमेश चन्द्र	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा.र.द अधिकारी .रूडकी/नारसन	स० लोक सूचना अधिकारी
2. श्री जगमोहन सिह रावत	क्षेत्रीय युवा कल्याणएवं प्रा.र.द. अधिकारी, लक्सर/खानपुर	स० लोक सूचना अधिकारी
3. श्री वरद जोशी	क्षेत्रीय युवा कल्याणएवं प्रा.र.द. अधिकारी, भगवानपुर	स० लोक सूचना अधिकारी
4. श्रीमती पूनम मिश्रा	क्षेत्रीय युवा कल्याणएवं प्रा.र.द. अधिकारी, बहादराबाद	स० लोक सूचना अधिकारी

युवा कल्याण विभाग में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किए जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–95/VI-I/2005 दिनांक 31 अगस्त, 2005 के द्वारा नामित ग्राम पंचायत स्तर (युवक मंगल दल/महिला मंगल दल) हेतु लोक सूचना अधिकारियों में निम्नानुसार संशोधित किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र०सं०	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	ग्राम पंचायत स्तर (युवक/महिला मंगल दल)	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	–	खण्ड विकास अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–8

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)

जनपद स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन जिला युवा कल्याण एवं प्रा.र.द अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के मध्य किया गया है। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को कार्यालयध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिन प्रकरणों में निदेशालय एवं शासन के परामर्श की आवश्यकता होती है वे प्रकरण जिलाधिकारी द्वारा निदेशालय और शासन को सन्दर्भित किये जाते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–9

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

नाम/पदनाम	पता	फोन नम्बर
श्री जीतेन्द्र सिह आर्य जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	ग्राम बिन्जोली पो० रीठाखाल, पौडी गढ़वाल	9412027837
श्री हरेन्द्र सिह खत्री क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	ग्राम तिमल्याणी पो० देवराना, पौडी गढ़वाल	9410106998
श्री रमेश चन्द्र क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	ग्राम ढीलमजरा पो० सिकरोड़ा जिला हरिद्वार	9359232795
श्री जगमोहन सिंह रावत क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	क्वार्क, पौडी गढ़वाल	9412978633
श्री वरद जोशी क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	ग्राम व पोस्ट शमशेरगढ़, जिला देहरादून	9760309850
श्रीमती पूनम मिश्रा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी	ग्राम लखनी (बगला) पोस्ट लखनी (कौसानी) बागेश्वर	7417402578
श्री हनुमान सिंह भण्डारी व्यायाम प्रशिक्षक	ग्राम भंडारीगांव, पो० राई आगर, पिथौरागढ़	9411122184
श्री पीताम्बर दत्त बबियाड़ी प्रवर सहायक	ग्राम चनौती, पो० नौकुचियाताल जिला नैनीताल	9410328440
श्री जितेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक	ग्राम भायला, जिला सहारनपुर	9412025813
श्री राकेश राघव अनुसेवक	ग्राम रामपुर भानपुर, पो० खास बुलन्दशहर	01334–239621

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–10

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वेतन+ग्रेड वेतन	महंगाई वेतन	अन्य भत्ता	कुल वेतन
1	श्री जे०एस०आर्य	जि०यु०क०अधि०	26080	13301	2700	42081
2	श्री एच०एस०खत्री	क्षे०यु०क०अधि०	26080	13301	2700	42081
3	श्री रमेशचन्द्र	क्षे०यु०क०अधि०	24350	12419	3150	39919
4	श्री जे०एस०रावत	क्षे०यु०क०अधि०	17160	8752	2550	28462
5	श्री वरद जोशी	क्षे०यु०क०अधि०	12440	6344	1850	20634
6	श्रीमती पूनम मिश्रा	क्षे०यु०क०अधि०	12440	6344	1850	20634
7	श्री एच०एस०भण्डारी	व्यायाम प्रशिक्षक	18910	9644	2300	30854
8	श्री पी०डी०बबियाडी	प्रवर सहायक	11980	6110	–	18090
9	श्री जितेन्द्र कुमार	कनिष्ट सहायक	11170	5697	–	16867
10	श्री राकेश राघव	अनुसेवक	9490	4840	845	15175

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–11

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित

वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या–11, लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं

(आयोजनेत्तर)

क्र०सं०	मद	आंवटित बजट
1	01–वेतन+ग्रेड वेतन	700000
2	02– मजदूरी	572000
3	03–म० भत्ता	400000
4	04– यात्रा भत्ता	15000
5	05–स्था० या० भ०	–
6	06–अन्य भत्ते	70000
7	08–कार्यलय व्यय	–
8	09–विद्युत व्यय	15000
9	11–लेखन सामग्री	–
10	13–टेली०	3000
11	15–पी०ओ०एल०	–
12	26–मशीन साज सज्जा	–
13	42–अन्य व्यय	–
14	44–प्रशिक्षण	–

अनुदान संख्या–19, लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम

आयोजनेत्तर

क्र०सं०	मद	आंवटित बजट
1	वेतन+ग्रेड वेतन	1300000
2	03–महंगाई भत्ता	665000
3	04–यात्रा भत्ता	7000
4	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	–
5	06–अन्य भत्ते	140000
6	27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–
7	48–महंगाई वेतन	–

क्र०सं०	मद	आंवटित बजट
1 जिला योजना		
1	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	578000
2	युवा दलों को प्रोत्साहन	630000
3	स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण	386000
4	समाज सेवा/सुरक्षा कार्य	4320000
5	विवेकानन्द यूथ एवार्ड	22000
6	युवा केन्द्रों का निर्माण/रखरखाव	50000
7	सेमीनार/संगोष्ठी	110000
8	सांस्कृतिक कार्यक्रम	150000
9	प्रकीर्ण व्यय	166000
10	छोटे खेल मैदानों का निर्माण	-
11	व्यावसायिक प्रशिक्षण	810000
12	साहसिक कार्यक्रम	148000
13	ग्रामीण व्यायमशाला निर्माण/रखरखाव	100000
14	युवा महोत्सव	-
2 SCP (जिला योजना)		
1	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	–
2	युवा दलों को प्रोत्साहन	–
3	स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण	–
4	समाज सेवा/सुरक्षा कार्य	5400000
5	सेमीनार/संगोष्ठी	–
6	सांस्कृतिक कार्यक्रम	–
7	व्यावसायिक प्रशिक्षण	–
8	साहसिक कार्यक्रम	–
9	युवा महोत्सव	–
3 TSP (जिला योजना)		
1	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	–
2	युवा दलों को प्रोत्साहन	–
3	स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण	–
4	समाज सेवा/सुरक्षा कार्य	–
5	सेमीनार/संगोष्ठी	–
6	सांस्कृतिक कार्यक्रम	–
7	व्यावसायिक प्रशिक्षण	–
8	साहसिक कार्यक्रम	–
9	युवा महोत्सव	–
4 राज्य सेक्टर योजना SCP		
1	समाज सेवा/सुरक्षा कार्य	–
2	स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	–
5–राज्य सेक्टर योजना (समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा)		–
6 राज्य सेक्टर योजना TSP		
1	समाज सेवा/सुरक्षा कार्य	–
2	स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	–
7 पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (PYKKA)		
अ–1	छोटे खेल मैदान निर्माण (ग्रा०पंचायत स्तर) बजट पत्र से प्राप्त	–
2	छोटे खेल मैदानों का निर्माण (क्षेत्र पंचायत स्तर)	–
ब–1	क्रीडाश्री का प्रशिक्षण केन्द्र पोषित	–
2	छोटे खेल मैदानों का निर्माण (ग्रा०पंचायत स्तर)	2790000

	केन्द्र पोषित	
3	छोटे खेल मैदानों का निर्माण (क्षेत्र पंचायत स्तर) केन्द्र पोषित	450000
4	डीपीआर मानदेय केन्द्र पोषित	—
5	यात्रा व्यय केन्द्र पोषित	—
6	वर्कशाप/एएपी केन्द्र पोषित	—
7	क्रीडाश्री मानदेय एवं रखरखाव (ग्रा०पंचायत स्तर) केन्द्र पोषित	288000
8	क्रीडाश्री मानदेय एवं रखरखाव (क्षे०पंचायत स्तर) केन्द्र पोषित	12000

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–12

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है

विभाग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों में छोटे खेल मैदान निर्माण, क्रीडाश्री का मानदेय, खेलकूद कार्यक्रमों हेतु अनुदान दिया जाता है भारत सरकार एवं निदेशालय की गार्ड लाईन के अनुसार व्यय किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–13

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

रियासतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के संबंध में विवरण

विभाग द्वारा किसी प्रकार की छूट या परमिट निर्गत करने का कार्य नही किया जाता है

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–14

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

विभाग द्वारा अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के मानक/नियम नही बनाये जाते है। शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित मानक एवं नियमों का पालन विभाग द्वारा भी किया जाता है।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरे

भारत सरकार के संगठन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड इकाई देहरादून द्वारा राज्य सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकि सलाहाकार के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की गयी है। उत्तराखण्ड एन०आई०सी० की वेवसाइट ua.nic.in पर युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग से सम्बन्धित सूचना तथा महत्वपूर्ण शासनादेश आदि उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेवसाइट youthwelfare.haridwar@gmail.com पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल संख्या–16

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय हरिद्वार के

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण

किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि में किसी भी समय कार्यालय में उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारियों से विभागीय सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो उस व्यक्ति या संगठन से सम्बन्धित है। इस उद्देश्य के लिये किसी वाचनालय या पुस्तकालय की अलग से व्यवस्था नही की गयी है। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है।